

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर, राजस्थान

(4)

क्र. मांक.जि.शि.अ/प्रा.शि/जोधपुर/मान्यता/2015/.....

दिनांक :

सचिव/अध्यक्ष,
फाउण्डेशन ट्रस्ट,
रातानाडा जोधपुर।

विषय - नियम 8 ए के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के मान्यता अनुज्ञा प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।

महोदय/महोदया,

संस्था द्वारा विद्यालय संचालन हेतु भूमी शैक्षणिक प्रयोजनार्थ होने के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प-9(2) शिक्षा-5/मान्यता उ.प्राथमिक/2015 दिनांक 26.11.15 एवं श्रीमान निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक.शिविरा/प्रां./शैक्षिक/सी.एफ/19626/मूल मान्यता/2015-16/137 दिनांक 01.12.15 की अनुपालना में संस्था सचिव द्वारा एक परिवचन (अण्डरटेकिंग) क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त परिवचन (अण्डरटेकिंग) क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र के आधार पर यूरो इन्टरनेशनल स्कूल शिकारगढ के पास उचियारडा जोधपुर। को केवल शैक्षिक सत्र 2015-16 में कक्षा पहली से कक्षा पांचवी तक माध्यम अंग्रेजी में विद्यालय संचालन के लिये सशर्त मान्यता प्रदान की जाती है एवं निर्देशित किया जाता है कि शैक्षिक सत्र 2016-17 के प्रारम्भ से पूर्व संस्था द्वारा भूमी रूपान्तरण शैक्षणिक प्रयोजनार्थ करवाकर दस्तावेजों की प्रमाणित छाया प्रति इस कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे। यदि संस्था/विद्यालय ऐसा नहीं कर पाता है तो संस्था स्वतः ही विद्यालय को बन्द कर प्रवेशित छात्रों को अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालय में प्रवेश हेतु टी0सी0 जारी कर देगा। भूमी शैक्षणिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण ना करवा पाने पर भी उपर्युक्त शिक्षण संस्था सत्र 2016-17 में चालू रखने पर आपराधिक कृत्य के लिये उत्तरदायी होगी।

निम्नलिखित दशाओं की पूर्ति उपर्युक्त स्वीकृति के अधीन की जानी है:-

- मान्यता की स्वीकृति कक्षा आठ से अधिक नहीं बढ़ाई जाती है।
- विद्यालय द्वारा "बच्चों को शिक्षा के अधिकार" एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (केन्द्र की धारा 35/2009) एवं राजस्थान में बच्चों की मुफ्त शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा नियम 2011 के अधीन पालना की जायेगी।
- धारा 2009 के विस्तार में विद्यालय द्वारा स्वीकार किया जायेगा कि कक्षा एक या कक्षा एक से पूर्व जैसा भी प्रकरण हो, कक्षा की समुचित संख्या में से कमजोर वर्ग के बच्चों और वंचित रहें समूह के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उनकी शिक्षा प्राप्ति तक दी जानी है।
- अवतरण तीन में सन्दर्भित बच्चों को विद्यालय द्वारा राजस्थान में बच्चों की मुफ्त शिक्षा के अधिकार और अनिवार्य शिक्षा नियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय द्वारा अलग से बैंक में खाता संधारित किया जायेगा।
- संस्था/विद्यालय द्वारा कोई प्रतिव्यक्ति शुल्क और बच्चों और माता-पिता का कोई साक्षात्कार (बच्चों के प्रवेश के लिए) नहीं लिया जायेगा।
- विद्यालय किसी भी बच्चों की आयु संबंधी प्रमाण की कमी के आधार पर बच्चे के प्रवेश के लिए मना नहीं करेगा और अधिनियम 2009 की धारा 15 के प्रावधानों पर अडिग रहेगा। विद्यालय यकीन करेगा कि-
 - किसी भी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने तक न तो किसी कक्षा में रोका जायेगा, न ही विद्यालय से बाहर किया जायेगा।
 - किसी भी बच्चों को न तो मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जायेगा और न ही शारीरिक रूप से सजा दी जायेगी।
 - किसी भी बच्चों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक उत्तीर्ण होने के लिए बोर्ड की परीक्षा निर्धारित नहीं की जायेगी।
 - प्रत्येक बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने पर, उसे पारितोशिक प्रमाण पत्र के रूप में राजस्थान में बच्चों के मुफ्त शिक्षा के अधिकार एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2011 की धारा 23 के प्रावधानों के अनुसार दिया जायेगा।
 - अशसक्ता/विशेष आवश्यकता वालों विद्यार्थियों को अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार सम्मिलित किया जायेगा।
 - अध्यापकों को न्यूनतम प्रशिक्षक योग्यता अधिनियम 2009 की धारा 23 के उपनियम (1) पर निर्धारित दायरे में नियुक्त दी जानी है। बशर्ते कि वर्तमान अध्यापक जो अधिनियम 2009 की घोषणा तक न्यूनतम योग्यता धारित न हो तो वह कम से कम पाँच वर्ष की अवधि में योग्यता अधिनियम 2009 की धारा 23 के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण करेगा।
 - अधिनियम 2009 की धारा 24 के उपनियम (1) के अनुसार अध्यापक अपने कर्तव्य की पालना करेगा और
 - अध्यापक/अध्यापिका अपने आप को किसी भी निजी शिक्षण गतिविधियों में व्यस्त नहीं रखेगा।
- विद्यालय उपर्युक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्यवस्तु का अनुसरण करेगा।

कू0पू0उ0

Neha Mathur

PRINCIPAL

Euro International School
Uchiyarda, Jodhpur (Raj.)

8. अधिनियम 2009 की धारा 19 के अनुरूप विद्यालय अपना स्तर और मापदण्ड कायम रखेगा। सुविधाएँ अन्तिम निरीक्षण के समय तक दी जाती हैं, जो इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	विवरण	पत्रावली संख्या
1	विद्यालय परिसर का क्षेत्र	संलग्न
2	कुल निर्मित क्षेत्र	संलग्न
3	खेलकूद के मैदान का क्षेत्र	संलग्न
4	कक्षा-कक्षों की संख्या	संलग्न
5	प्रधानाध्यापक मय गण्डार कक्षा	संलग्न
6	छात्र-छात्रों के लिए अलग शौचालय	संलग्न
7	पीने के पानी की सुविधा	संलग्न
8	मिड-डे-मिल भोजन पकाने की रसोई	संलग्न
9	व्यवधान रहित आवागमन	संलग्न
10	शिक्षण सिखलाई संबंधी उपकरणों/खेलकूद के उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता	संलग्न

9. एक ही विद्यालय के नाम से विद्यालय के बाहर या अन्दर किसी भी प्रकार की अधिकृत प्रावधानों के खिलाफ (अनाधिकृत) कक्षाएँ नहीं चलाई जायेगी।
10. विद्यालय भवन या अन्य निर्मित ढांचा या मैदान का शिक्षा के उद्देश्य के लिए प्रयोग और कौशल विकास के लिए प्रयोग किया जाना है।
11. विद्यालय संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 (केन्द्र के अधिनियम 1860 की धारा 21), राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 (1958 की धारा 28) या एक सार्वजनिक न्यास जो कुछ समय के लिए कानूनन बनाई गई हो, के अधीन कार्य करेगा।
12. विद्यालय किसी भी व्यक्तिगत/समूह या व्यक्तिगत संस्था या अन्य कोई व्यक्ति विशेष के लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा।
13. विद्यालय के लेखा-जोखा का अंकेक्षण किया जाना चाहिए और चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा उचित लेखा सूची को नियमानुसार प्रमाणित करवाया जाना चाहिए। प्रत्येक प्रमाणित लेखा सूची की प्रति जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा को प्रति वर्ष भिजवायी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को निम्नलिखित मान्यता क्रमांक प्रदत्त किया जाता है। यह कृपया ध्यान में लाया जाए कि कार्यालय से किये गये प्रत्येक पत्र व्यवहार में भी इसका उल्लेख किया जाए।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचनाएँ संधारित रखेगा जो निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा समय समय पर मांगी जाती है। साथ ही, भारत सरकार/स्थानीय अधिकारियों के द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना करने की अवस्था में ही मान्यता दी जानी या रद्द की जानी निर्भर करती है।
16. संस्था के पंजीकरण का नवीनीकरण अनिवार्यतः समय-समय पर किया जाना है।
17. अन्य शर्तें संलग्नित प्रदर्श के अनुसार हैं।
18. विद्यालय को मान्यता पश्चात् डाईस कोड नम्बर प्राप्त कर आरटीई वेब पोर्टल पर विद्यालय का 6 माह के भीतर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर
दिनांक : 14/12/15

क्रमांक : जिशिअ/प्राशिा/जोधपुर/मान्यता/2015/1270
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ -

1. श्रीमान निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. श्रीमान उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर मण्डल, जोधपुर।
3. श्रीमान ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, जोधपुर।
4. सचिव/अध्यक्ष फाउण्डेशन ट्रस्ट, रातानाडा जोधपुर।
5. कार्यालय पंजिका।

Neha Mathur

PRINCIPAL

Euro International School
Uchiyada, Jodhpur (Raj.)

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर